

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 676 / आगरा / 11016 / 2015, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 06, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ ।

विषय : आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग (एस0एच0-62) किमी0 चैनेज 81.665 की बायी पटरी पर ग्राम-कमालपुरा के खसरा सं0 155 में बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0771 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति ।

सन्दर्भ: उ0प्र0शासन का पत्रांक-पी-40/14-2-2017-800(69)/2017, दि0 14.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनायें एवं अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थे।

उक्त के कम में वन संरक्षक, आगरा के पत्रांक-634/14-1, दिनांक 10.08.2017 द्वारा बिन्दुवार सूचनायें एवं अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं, जिसकी एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
✓ उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 676 / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, आगरा।
- 3- प्रादेशिक प्रबन्धक(रिटेल), बी0पी0सी0एल0, प्लॉट डी-1, रोड नं0-26, इण्डरिट्रियल एरिया, साइट-बी, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
✓ उ0प्र0, लखनऊ।